न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 11/2018

दायर दिनांक: 06.06.2018

निर्णय दिनांक 01.04.2021

–:अनवान:–

1. श्री दिनेश कुमार पिता श्री नारायणलाल जी जाति, शर्मा उम्र 42 वर्ष निवासी मोही तहसील व जिला राजसमन्द

—— अपीलार्थी

–:बनाम:–

1. श्री गोपीचन्द पिता श्री चतरा जी जाति रेगर, उम्र वयस्क निवासी मोही तहसील व जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द

—— रेस्पोडेण्टगण

राजस्व ग्राम मोही के नामान्तरकरण संख्या 4865 द्वारा तहसीलदार साहब, राजसमन्द के विरूद्ध अपील

उपस्थित:–

1– श्री अमित सरूपरिया, अधिवक्ता अपीलांट्स

2– श्री प्रवीण मण्डोवरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01

3– श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02

–::निर्णय::–

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। राजस्व ग्राम मोही तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित आ0नं0 715, 719, 720, 745 से 756 तक व 951 से 954 तक व 3318 से 3327 तथा 4799/754 कुल किता–29 कुल रकबा 24.13 बीघा भूमि में से अपीलांट का 1/45वा भाग है। जो कि वर्तमान मे अविभाजित है। उपरोक्त आराजीयात के संबंध में एक वाद बाबत स्थाई निषेद्याज्ञा एवं प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमन्द विचाराधीन होकर अन्तरिम निषेद्याज्ञा जारी कर रखी है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 02 पाबन्द है। आक्षेपित नामान्तरण जो खुला गया है। वह अपीलांट को बिना सुचित व सुने खोला गया है। आक्षेपित नामान्तरण की जानकारी दिनांक 10.05.2018 को होने से उक्त अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

की गयी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित नामान्तरण संख्या 4865 को अपास्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड की पुनः पूर्व स्थिति कायम करायी जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण की ओर अधिवक्ता उपस्थित।

अधिवक्ता अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने राजस्व ग्राम मोही तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित आ0नं0 715, 719, 720, 745 से 756 तक व 951 से 954 तक व 3318 से 3327 तथा 4799/754 कुल किता–29 कुल रकबा 24.13 बीघा भूमि में से अपीलांट का 1/45वा भाग है। जो कि वर्तमान मे अविभाजित है। उपरोक्त आराजीयात के संबंध में एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमन्द विचाराधीन होकर अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी कर रखी है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 02 पाबन्द है। आक्षेपित नामान्तरण जो खुला गया है। वह अपीलांट को बिना सुचित व सुने खोला गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित नामान्तरण संख्या 4865 को अपास्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड की पुनः पूर्व स्थिति कायम करायी जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि का दिनांक 29.12.2017 को क्रय की गयी जबकि उक्त नामान्तरण तहसीलदार, राजसमन्द दिनांक 10.01.2018 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामान्तरण पर सहायक कलक्टर, राजसमन्द के द्वारा दिनांक 15.01.2018 को स्टे दिया है कि वादग्रस्त भूमि का अन्तरण नहीं करें। चुकि दिनांक 29.12.2017 को क्रय कर दिनांक 10.01.2018 को क्रेता के नाम नामान्तरण खुलने से उक्त स्टे क्रेता पर लागु नही होता । साथ ही उक्त स्टे में रेस्पो0 संख्या 01 पक्षकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर निरस्त फरमायी जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया। स्टे मिलने से पहले ही जमीन का बैचान हो चुका हैं तथा इस वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण खोलने में कोई विधिक रोक नही थी। जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा उपरोक्त नामान्तरण खोलने में कोई त्रुटी नहीं की है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

::आदेश::

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रकरण में स्टे मिलने से पहले ही जमीन का बैचान हो चुका हैं तथा इस वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण खोलने में कोई विधिक रोक नही थी। जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा उपरोक्त नामान्तरण खोलने में कोई त्रुटी नहीं की है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 4865 दिनांक 10.01.2018 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)